रजिस्ट्री सं. डी. (डी एन)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 207] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 18, 1985/आश्विन 26, 1907
No. 207] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 18, 1985/ASVINA 26, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 15 अक्तूबर 1985

संकल्प

सं. फा. 6(18)/85-का से —केन्द्रीय सरकार ने तारीख 25 सितंबर, 1980 के संकल्प सं. फा. 6(19)/80-का सं० के द्वारा "विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वयन समिति" नामक एक समिति गठित की है।

उक्त समिति प्रथम बार में, तीन वर्ष के लिए गठित की गई थी।

केन्द्रीय सरकार ने विनिश्चय किया है कि उक्त समिति का कार्यकाल 26 सितंबर, 1985 से आगे एक वर्ष की अवधि के लिए, अर्थात्, 30 सितंबर, 1986 तक, बढ़ा दिया जाए और उसने समिति के गठन का पुनरीक्षण करने का भी विनिश्चय किया है।

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त समिति के कार्यकाल को 26 सितंबर, 1985 से आगे एक वर्ष की अवधि के लिए, अर्थात्, 30 नवम्बर, 1986 तक, बढ़ाती है।

2. समिति में 26-9-1985 से निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

(1) न्यायमूर्ति श्री प्र०न० भगवती, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वयन समिति के प्रमुख संरक्षक और सलाहकार।

(2) न्यायमूर्ति श्री रंगनाथ मिश्र, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश—कार्यकारी अध्यक्ष।

(3) न्यायमूर्ति श्री एम. पी. चन्द्रकान्तराज अर्स, कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश—सदस्य

(4) श्रीमती सुनंदा भंडारे, दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायाधीश——सदस्य

(5) सचिव (व्यय)—सदस्य

(6) सचिव, विधि कार्य विभाग—सदस्य

(7) श्री सुब्रत राय चौधरी—सदस्य

(8) श्री एन० आर० माधव मेनन—सदस्य

(9) श्रीमती रेणुका मिश्र—सदस्य

(10) सचिव, विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वयन समिति—सदस्य-सचिव

(11) एक महिला अधिवक्ता/सामाजिक कार्यकर्ता जिन्हें बाद में सम्मिलित किया जाएगा।

बी एस सेखों, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Legal Affairs)

New Delhi, the 15th October, 1985

RESOLUTION

No. F. 6(18)|85-IC.—Whereas the Central Government constituted a Committee to be known as "The Committee for Implementing Legal Aid Schemes", vide Resolution No. F. 6(19)|80-IC, dated 25th September, 1980;

And whereas the said Committee was constituted for three years in the first instance;

And whereas the Central Government had extended the term of the said Committee from time to time upto 25th September, 1985;

And whereas the Central Government has decided to extend the term of the said Committee for a further period of one year beyond 26th September, i.e. upto 30th September, 1986 and also decided to revise the composition of the Committee.

Now, therefore, the Central Govt. hereby extends the term of the said Committee for a further period of one year beyond 26th September, 1985 i.e. upto 30th September, 1986.

2. The Committee shall consist of the following members with effect from 26-9-1985 :—

(1) Shri Justice P. N. Bhagwati, Chief Justice of India as Patron-in-Chief of Committee for Implementing Legal Aid Schemes with full advisory capacity.

(2) Shri Justice Ranganath Misra, Judge of the Supreme Court—Executive Chairman.

(3) Shri Justice M. P. Chandrakantaraj Urs, Judge of the Karnataka High Court —Member.

(4) Smt. Justice Sunanda Bhandare, Judge of the Delhi High Court—Member.

(5) Secretary (Expenditure)—Member

(6) Secretary Department of Legal Affairs —Member.

(7) Shri Subrata Roy Choudhary—Member

(8) Shri N. R. Madhva Menon—Member.

(9) Smt. Renuka Misra—Member.

(10) Secretary, CILAS—Member Secretary

(11) One lady advocate|social worker to be included subsequently.

B. S. SEKHON, Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985